क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन हेतु नियमावली को बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गयी.

पटना, 18/03/2024

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन हेतु नियमावली को दिनांक 15/03/2024 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है.

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव डॉ. बी. राजेंद्र के द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प के माध्यम से बताया गया है कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार होंगे तथा उपाध्यक्ष प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार होंगे. इस सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार होंगे. सोसाइटी में नियोक्ता के तीन प्रतिनिधि एवं कर्मचारी के तीन प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जबकि ई.एस.आई.सी. के क्षेत्रीय निदेशक एवं राज्य चिकित्सा अधिकारी इसमें पदेन सदस्य होंगे.

संजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य कर्मचारी बीमा सोसाइटी के गठन होने के उपरांत ई.एस.आई.सी. के तहत बीमाकृत लाभार्थियों को पहले से अधिक अच्छी चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि सोसाइटी के पास वित्तीय शक्ति की स्वायत्तता हासिल हो जाएगी एवं ई.एस.आई.एस. द्वारा व्यय की जानेवाली राशियों के लिए कोषागार से निकासी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इससे नीति सम्बंधी मामलों का शीघ्र निर्णय हो सकेगा एवं बीमित व्यक्तियों के द्वितीयक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा त्वरित गति से किया जा सकेगा. उक्त सोसाइटी का अपना अलग स्वायत्त बैंक खाता रहेगा, जिससे सोसाइटी बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न मदों में स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर से व्यय कर सकेंगे एवं इसके लिए राज्य सरकार पर इनकी निर्भरता नहीं रहेगी. यह भी बताया गया कि इस सोसाइटी के गठन होने के उपरांत ई.एस.आई.एस. के औषधालयों में चिकित्सक, फर्मासिस्ट, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ आदि की सोसाइटी के द्वारा सम्विदा पर बहाली की जाएगी, जिससे कि ई.एस.आई.एस. के औषधालयों जो अभी नन-फंक्शनल है, इसको क्रियाशील बनाया जा सकेगा एवं बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहूलियत होगी. सोसाइटी के गठन होने से बिहार राज्य के 4.2 लाख बीमित व्यक्तियों एवं उनकी आश्रितो को जोड़कर कुल तकरीबन 17 लाख श्रमिक जो ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत हैं, इनको त्वरित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ होगा. सोसाइटी के गठन के उपरांत ई.एस.आई.एस. द्वारा अपने अस्पतालों का भी निर्माण एवं इनका संचालन किया जा सकेगा. श्रम संसाधन विभाग द्वारा सोसाइटी के संकल्प नियमावली एवं विनियमावली को स्वीकृति हेतु अभी ई.एस.आई.सी. के मुख्यालय नई दिल्ली को भेजा गया है, जिसकी मुख्यालय से स्वीकृति के उपरांत अधिसूचना जारी कर सोसाइटी का गठन कर दिया जाएगा. नये वित्तीय वर्ष 2024-25 में सोसाइटी के कार्यरत हो जाने की सम्भावना है, जिसके उपरांत चिकित्सा सुविधाओं के मामले में बिहार के बीमित व्यक्तियों के लिए यह बहुत दूरगामी प्रभाव वाला कार्य साबित होगा.

क्षेत्रीय निदेशक